

सतलुज-यमुना लकि नहर विवाद

प्रलिमिस के लिये:

सतलुज-यमुना लकि नहर विवाद, सधि जल संधि, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 143

मेन्स के लिये:


सतलुज-यमुना लकि नहर विवाद और इसके नहितारथ, महत्त्वपूर्ण भौगोलिक रूपों (जल निकायों और बरफ-चोटियों सहित) एवं वनस्पतियों व जीवों में बदलाव तथा इन बदलावों के प्रभाव, वैधानिक, नियामक व वभिन्न अर्द्ध-न्यायकि निकाय

सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को उसके आदेश का अनुपालन करने की सलाह देते हुए कहा है कि वह अपने हस्तिके के सतलुज-यमुना लकि नहर के नियमान कारण को यथाशीघर पूरा करे।

- न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस विषय पर पंजाब और हरयाणा सरकारों के बीच संवादों के अनुवीक्षण का निर्देश दिया है; हालाँकि हरयाणा सरकार ने नहर के अपने आधे हस्तिके का नियमान पूरा कर लिया है।
- इस मुद्दे की मूल जड़ वर्ष 1966 में हरयाणा को पंजाब से अलग कर जाने के बाद वर्ष 1981 का एक विवादास्पद जल-बँटवारा समझौता है।



पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1960:
 - इस विवाद की शुरुआत भारत तथा पाकिस्तान के बीच सधि जल संधि से होती है, जसिके अंतर्गत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदी के 'मुक्त एवं अप्रतबंधित उपयोग' की अनुमतिदी गई थी।
- वर्ष 1966:
 - अवभिज्ञाति/पुराने पंजाब से हरयाणा के नरिमाण के बाद हरयाणा को उसके हस्से का नदी जल प्राप्त करने में काफी समस्याएँ हुईं।
 - हरयाणा को सतलुज और उसकी सहायक नदी ब्यास के जल का हस्सा प्रदान करने के लिये, सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर (SYL नहर) की योजना तैयार की गई थी।
 - पंजाब ने हरयाणा के साथ जल साझा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जिल साझाकरण का यह नरिमाण तटवरती सदिधांत के खलिफ है, जसिके अनुसार कसी नदी का जल केवल उस राज्य/राज्यों एवं देश/ देशों का है जहाँ से होकर नदी बहती है।
- वर्ष 1981:
 - दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से जल के पुनः आवंटन पर सहमति जिताई।
- वर्ष 1982:
 - पंजाब के कपूरी गाँव में 214 किलोमीटर लंबी सतलुज-यमुना लकि (SYL) का नरिमाण शुरू किया गया।
 - इसी समय राज्य में आतंक का माहौल बनाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाने के वरिष्ठ में आंदोलन, वरिष्ठ प्रदर्शन और हत्याएँ हुईं।
- वर्ष 1985:
 - इस दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन अकाली दल के प्रमुख ने जल साझाकरण मामले के आकलन के लिये एक नए

प्राधिकरण के नियमों पर सहमति विद्यक्त करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर्या थे।

- जल की उपलब्धता और बैंटवारे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में इराडी प्राधिकरण की स्थापना की गई।
- वर्ष 1987 में इस प्राधिकरण ने पंजाब और हरयाणा के हस्सों को क्रमशः 5 MAF व 3.83 MAF तक वसितृत करने की सफिराशि की।

■ वर्ष 1996:

- हरयाणा ने सतलुज-यमुना लकि का काम पूरा करने के लिये पंजाब को निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर्या।

■ वर्ष 2002 और 2004:

- सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब को अपने क्षेत्र में कारय पूरण करने का निर्देश दिया।

■ वर्ष 2004:

- पंजाब विधानसभा ने पंजाब ट्रमनिशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट पारित किया, जिससे जल-साझाकरण समझौता नियमित हो गया और इस तरह पंजाब में सतलुज-यमुना लकि का नियमांकन बाधित हो गया।

■ वर्ष 2016:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के पंजाब ट्रमनिशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट की वैधता पर नियमित लेने के लिये राष्ट्रपतीय संदर्भ (अनुच्छेद 143) पर सुनवाई शुरू की और पंजाब द्वारा नदी जल को साझा करने की वचनबद्धता के उल्लंघन को देखते हुए क्षेत्र की अधिनियम को संवैधानिक रूप से अवैध करार दिया गया।

■ वर्ष 2020:

- इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र की मध्यस्थिता में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर सतलुज-यमुना लकि नहर मुद्दे पर सवाद करने और हल निकालने का निर्देश दिया।
- पंजाब ने जल की उपलब्धता के समयबद्ध आकलन के लिये एक न्यायाधिकरण की मांग की है।
 - पंजाब राज्य के अनुसार, आज तक राज्य में नदी जल का कोई न्यायनियन अथवा वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया गया है।
 - रावी-ब्यास जल की उपलब्धता भी वर्ष 1981 में अनुमानित 17.17 MAF से घटकर वर्ष 2013 में 13.38 MAF हो गई है।
- एक नया न्यायाधिकरण इन सभी की जाँच सुनिश्चित करेगा।

पंजाब और हरयाणा राज्यों के तरक़ि:

■ पंजाब:

- पंजाब पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी अतिरिक्त जल के बंटवारे का कड़ा वरिधि करता है। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पंजाब में अतिरिक्त जल की कमी है और पछिले कुछ वर्षों में उनके जल आवंटन में कमी हुई है।
- वर्ष 2029 के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सचिवाई के लिये राज्य पहले ही अपने **भूजल का अत्यधिक दोहन** कर चुका है क्योंकि गैरुं और धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है।
 - राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है।

■ हरयाणा:

- पंजाब, हरयाणा के हस्से का जल उपयोग कर रहा है, इसलिये हरयाणा बढ़ते जल संकट का हवाला देते हुए नहर के कारय को पूरा करने की मांग करता है।
- हरयाणा का तरक़ि है कि राज्य में सचिवाई के लिये जल उपलब्ध कराना कठनी है और हरयाणा के दक्षिणी हस्सों में पीने के पानी की समस्या है जहाँ भूजल स्तर 1,700 फीट तक कम हो गया है।
- हरयाणा केंद्रीय खाद्य पूल (Central Food Pool) में अपने योगदान का हवाला देता रहा है और तरक़ि देता है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार उसे उसके जल के उचित हस्से से वंचित किया जा रहा है।

सतलुज-यमुना लकि नहर का महत्व:

■ एक समान जल बंटवारे की सुवधा:

- SYL नहर का उद्देश्य हरयाणा और पंजाब के बीच नदी जल के समान बंटवारे को सुवधाजनक बनाना है। एक बार पूरा होने पर यह नहर क्षेत्र के प्रमुख जल स्रोतों रावी और ब्यास नदियों से जल के वितरण को सक्षम करेगी। जल संसाधनों तक उचित पहुँच सुनिश्चित करने और असमान वितरण से उत्पन्न होने वाले संभावित संघरणों को रोकने के लिये यह दोनों राज्यों के लिये महत्वपूर्ण है।

■ दीर्घकालिक जल विवादों का समाधान:

- यह हरयाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवादों का समाधान कर सकता है। इसका उद्देश्य जल हस्तांतरण के लिये एक सुगम मार्ग प्रदान करके, जल आवंटन और उपयोग से संबंधित असहमतियों सुलझाना है जो देशकों से चली आ रही है तथा कई बार कानूनी लड़ाई व राजनीतिक तनाव का कारण बनी है।

■ कृषि उत्पादकता में वृद्धि:

- SYL नहर बेहतर जल वितरण की सुवधा प्रदान करके, कृषि उत्पादकता और स्थरिता को बढ़ाने में योगदान कर सकती है।
- यह कसिनों को उनकी भूमिपर प्रभावी ढंग से खेती करने में सहायता कर सकती है, जिससे बेहतर पैदावार तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हो सकता है।

■ सामाजिक-आर्थिक विकास:

- SYL नहर दोनों राज्यों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका नभी सकती है।
- शहरीकरण, औद्योगीकरण और समग्र विकास के लिये जल तक नियंत्रण पहुँच आवश्यक है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होता है तथा

लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

वभिन्न राज्यों के बीच जल बंटवारे के विविधों का कारण:

- न केवल भारत में अपनी वशिव के कई हसिसों में वभिन्न राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं, जिनमें अमूमन कई कारक शामिल होते हैं। कुछ सामान्य कारक जो राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दों का कारण बनते हैं:
 - जल उपलब्धता में भौगोलिक भनिन्ताएँ: वभिन्न राज्यों में उनकी भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति और नदियों, झीलों या पानी के अन्य स्रोतों से निकिटा के कारण जल संसाधनों तक पहुँच का स्तर अलग-अलग है।
 - कुछ राज्यों में स्वाभाविक रूप से जल संसाधन अधिक प्रचुर हो सकते हैं जबकि अन्य को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
 - जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वारमगि: जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वारमगि मौसम के पैटर्न को बदल रहे हैं और वर्षा के स्तर को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे जल की उपलब्धता एवं वितरण में बदलाव आ रहा है।
 - अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा और बदलते मानसून पैटर्न से जल की कमी की समस्या बढ़ सकती है तथा जल वितरण संबंधी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
 - नदियों और जल स्रोतों का असमान वितरण: राज्यों में नदियों और अन्य जल स्रोतों का वितरण प्रायः असमान होता है, जिससे जल के अभावित उपयोग पर विविध होता है।
 - नदी के उद्धरणप्रवाह वाले भाग में स्थिति राज्यों का नदी के स्रोत पर प्रभावी नियंत्रण हो सकता है जबकि अधोप्रवाह वाले हसिसे में स्थिति राज्यों को जल का उचाति भाग प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
 - बाँधों और जलाशयों का नियमण कार्य: वभिन्न उद्देश्यों के लिये बाँधों और जलाशयों का नियमण नदियों के प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है तथा अधोप्रवाह वाले हसिसे की ओर जल की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
 - जनसंख्या वृद्धि और बढ़ी हुई मांग: कुछ राज्यों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि से कृषि, उदयोग और घरेलू उपयोग सहित वभिन्न उद्देश्यों के लिये जल की मांग बढ़ जाती है।
 - यह बढ़ी हुई मांग उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे आवंटन और वितरण पर संघर्ष होता है।
 - राजनीतिक और अंतर-राज्य संबंध: राजनीतिक कारक, अंतरराज्यीय संबंध और राज्यों के बीच अलग-अलग प्राथमिकताएँ जल वितरण से संबंधित वार्ता एवं समझौतों को प्रभावित कर सकती हैं।
 - राजनीतिक विचार, सत्ता की गतशीलता और चुनावी हति जल विविधों के समाधान को जटिल बना सकते हैं।

जल वितरण के मुद्दों का स्थायी समाधान:

- जल संरक्षण एवं दक्षता उपाय:
 - जल-बचत प्रौद्योगिकियों को लागू करने और कृषि, उदयोग एवं घरों में जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने से जल की मांग में काफी कमी आ सकती है।
- सचिर्लाइंग का आधुनिकीकरण:
 - सचिर्लाइंग के बुनियादी ढाँचे को ड्रपि सचिर्लाइंग जैसी अधिकि कुशल प्रणालियों में अपग्रेड करने से कृषि (एक ऐसा क्षेत्र जो अधिकांश जल संसाधनों का उपभोग करता है) में जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है।
- वास्तवकि समय की निगरानी और पूर्वानुमान:
 - जलाशय के स्तर, नदी के प्रवाह और मौसम के पैटर्न की वास्तवकि समय की निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रभावी जल प्रबंधन तथा विशेषकर जलवायु अनश्चित्तियों के दौरान समय पर नियन्त्रण लेने में सहायता कर सकता है।
- संघर्ष समाधान तंत्र:
 - संभवतः कानूनी संरचना के परे कुशल संघर्ष समाधान तंत्र स्थापित करने से राज्यों को जल-वितरण विविधों को अधिकि तेजी और सहयोगात्मक ढंग से हल करने में मदद मिल सकती है।
 - जल विविधों को सौहारदारपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोग और समझ का की भावना विकसित होना आवश्यक है।
- नदी बेसनि पारस्थितिकी तंत्र की बहाली:
 - नदी बेसनि पारस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने से जल संसाधनों की संधारणीयता में वृद्धि हो सकती है। स्वस्थ पारस्थितिकी तंत्र जल की गुणवत्ता और उपलब्धता में योगदान देता है।
 - कसी भी जल-संबंधित परियोजना को शुरू करने से पहले व्यापक प्रयोगरणीय प्रभाव आकलन (EIA) सुनिश्चित करने से जल स्रोतों और पारस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभावों को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है।

आगे की राह

- जल विविधों को न्यायाधिकरण के नियन्त्रण पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ एक स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित करके हल या नियंत्रित किया जा सकता है।
- कसी भी संवैधानिक सरकार का तात्कालिक लक्ष्य अनुच्छेद 262 (अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विविधों का न्यायनियन) और अंतरराज्यीय जल विविध अधिनियम में संशोधन तथा समान स्तर पर इसका कार्यान्वयन होना चाहयि।

